उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग,
संख्याः– 526 /2025/XIII-2/09(12) 2014
देहरादून, दिनांकः 06 अप्रैल, 2026।

शुद्धि–पत्र

उत्तराखण्ड शासन द्वारा राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक अमर उजाला, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स तथा अंग्रेजी दैनिक Times of India एवं Hindustan Times में प्रकाशित विज्ञापन संख्याः–02/2025/XIII-2/09(12)2014, दिनांकः 05 दिसम्बर, 2025 में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल के कुलपति पद पर चयन हेतु प्रकाशित **विज्ञापन के प्रस्तर संख्याः–3, 4(1) एवं 5 को निम्नानुसार पढ़ा जायें:–**

प्रस्तर–3

कुलपति पद हेतु अनिवार्य और वांछित योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुसार होगी। कुलपति के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्षों के लिए प्रोफेसर के रूप में अनुभव या किसी प्रतिष्ठित अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में शैक्षणिक नेतृत्व के साक्ष्य के साथ 10 वर्षों के अनुभव के साथ एवं विशिष्ट शिक्षाविद् होना चाहिए।

उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के निर्देश संख्याः–1-32/2006-U.II/UI (1), दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 सचिव, यूजीसी को दिनांकित, भारत सरकार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधित 2009) अध्याय IV-24(4) के अनुसार, पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्याः–02/2025/XIII-2/09(12)2014, दिनांकः 05 दिसम्बर, 2025 के अनुक्रम में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आवदेक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुलपति का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा।

प्रस्तर–4(1)

प्रस्तर–3 में कुलपति के पद हेतु प्रोफेसर के रूप में 10 वर्ष के अनुभव के प्रमाण हेतु प्रोफेसर या समकक्ष पद पर प्रथम नियुक्ति वाले संस्थानों से जारी प्रमाण पत्रों/नियुक्ति पत्रों की स्व–सत्यापित प्रतियां और प्रथम नियुक्ति के बाद के अन्य पदों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/नियुक्ति पत्रों की स्व–सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

प्रस्तर–5

अभ्यर्थी को अपने बेदाग कैरियर एवं असंदिग्ध निष्ठा के समर्थन में आवेदन पत्र के साथ स्व–प्रमाणित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध ब्यूरो/मा0 न्यायालय या अन्य किसी संस्थान में किसी भी स्तर पर कोई जाँच अथवा आपराधिक प्रकरण संस्थित/प्रचलित/लम्बित नहीं है। यदि पूर्व वर्षों में

उपरोक्तानुसार आवेदक के विरूद्ध कोई संस्थित जाँच/अनुशासनिक कार्यवाही/निर्णित हुई हो तो ऐसे जाँच प्रकरणों का विवरण एवं निष्कर्ष का भी स्पष्ट उल्लेख अभ्यर्थी को स्वप्रमाणित प्रति में उपलब्ध कराना होगा।

यदि आवेदन में की गई घोषणाओं के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों/संलग्नकों में कोई विसंगति पाई जाती है, तो आवेदक के खिलाफ सुसंगत विधियों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

जिन आवेदकों द्वारा पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु वे इस संशोधन के अनुक्रम में यदि स्वेच्छा से कोई नवीन अभिलेख किसी घोषणा या प्रविष्टि के सम्बन्ध में प्रेषित करना चाहते हैं, तो उक्तानुसार प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई आवेदक, नवीन आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है, तो दिनांक 20.04.2026 तक अपर सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, 04 सुभाष रोड, देहरादून को पंजीकृत/स्पीड डॉक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। विज्ञापन सं0:–02/2025/XIII-2/09(12)2014, दिनांकः 05 दिसम्बर, 2025 की शेष शर्तें/प्रतिबन्ध पूर्ववत् ही रहेगी।

(डॉ0 सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

Government of Uttarakhand,
Agriculture and Farmers Welfare department,
No. /2025/XIII-2/09(12) 2014,
Dehradun, Dated: April, 2026

(Corrigendum)

Advertisement published by the Government of Uttarakhand in national hindi daily Amar Ujala, Dainik Jagran, Navbharat Times and English daily Times of India and Hindustan Times newspapers through advertisement no. 02/2025/XIII-2/09(12) 2014, dated 05 December, 2025 for selection to the post of Vice-chancellor of Veer Chandra Singh Garhwali Uttarakhand University of Horticulture and Forestry, Bharsar, Pauri Garhwal. Paragraph no. 3, 4(1) and 5 of the advertisement should be read as follows:-

Para-3

The essential and desirable qualifications for the post shall be as per UGC Regulations, 2018 i.e. The person to be appointed as a Vice-chancellor should be a distinguished academician, with a minimum of ten years' of experience as Professor in any University or ten years' of experience in a reputed research and / or academic administrative organization with proof of having demonstrated academic leadership.

The applicant's age should not exceed 67 years as on the last date of submission of application as mentioned the advertisement no. 02/2025/XIII-2/09(12) 2014, dated 05 December, 2025 as per the directions by (Ministry of HRD) Deptt. Of Higher Education directions no. 1-32/2006-U.II/UI (1), dated 31 December 2008 to the secretary UGC dated Gov of India Agriculture Universities (Revised 2009) Chapter IV-24(4)). The Vice-chancellor shall hold office for a term of 03 years.

Para- 4(1)

For the proof of ten years' experience as prescribed in para (3) self-attested copies of the certificates/appointment letters issued from the institutions of first appointment on post of Professor or equivalent position and of the other positions served after first appointment.

Para-5

The candidate must submit self-attested certificates along with the application form in support of their unblemished career and unquestionable integrity, stating that no inquiry or criminal case is instituted/pending/ongoing against him/her at any level in the Lokayukta Organization, Economic Offence Bureau/Hon'ble Court, or any other institution. If any such inquiry/disciplining action was conducted/initiated in the previous years, the candidate must clearly state the details and conclusions of such inquiry cases in the self-attested certificate.

If any discrepancy is found in the documents /enclosures submitted in relation to the declarations made in the application, action will be taken against the applicant as per applicable laws.

Applicants who have already submitted application are not required to apply again, but if they voluntarily wish to send any new documents in connection with any declaration or

entry in accordance with this amendment, he/she can submit. If any applicant wishes to submit a new application, he/she can send it to the additional secretary, Agriculture and Farmers Welfare department, Uttarakhand Secretariat, 4-Subhash Road, Dehradun, Pin Code-248001 by registry/speed post by 20.04.2026 The remaining conditions/restrictions of advertisement no. 02/2025/XIII-2/09(12) 2014, dated 05 December, 2025 will remain the same.

(Dr. Surendra Narayan Pande)
Secretary,
Government of Uttarakhand.